

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 03 / भू0आ0नि0 (1) के0 यो0-BPMU (विज्ञापन)– 08 / 2022 302>

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 25/10/2022

विषय :- बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के लिए अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन।


महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के **Expert Consultant** (विशेषज्ञ सलाहकार) के पद पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन सूचना की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सूचना को हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :- विज्ञापन सूचना की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी।


विश्वासभाजन


(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0आ0नि0 (1) के0 यो0-BPMU (विज्ञापन)– 08 / 2022 302> पटना, दिनांक 25/10/2022

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं विज्ञापन संख्या- 09 / 2022-23 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भूअ०नि० (1) के० यो०-BPMU (विज्ञापन)- 08/2022 **३०१** पटना, दिनांक **२५/१०/२०२२**

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट युनिट, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भूअ०नि० (1) के० यो०-BPMU (विज्ञापन)- 08/2022 **३०१** पटना, दिनांक **२५/१०/२०२२**

प्रतिलिपि :- निदेशक कोषांग, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सर्वे भवन, शास्त्रीनगर, पटना – 800023

विज्ञापन संख्या : 09 / 2022–23

केन्द्र प्रायोजित योजना DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME - DILRMP के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यों में आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निर्बंधित सोसाईटी (निर्बंधन संख्या – 3592 / 2011–12) के रूप में किया गया है। इस सोसाईटी के अंतर्गत शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शासी निकाय क्रियाशील है तथा प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति क्रियाशील है।


2. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से गठित की गयी है। इस सोसाईटी के गठन हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 13014 / 4 / 2007–LRD दिनांक 02.08.2011 एवं पत्र संख्या 15012 / 02 / 2022–LRD दिनांक 31.05.2022 द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सोसाईटी कार्यालय के लिए Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार) के एक (01) पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है।

3. सोसाईटी कार्यालय के Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार) का पद वर्तमान में रिक्त है, जिसके विरुद्ध अस्थायी नियोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

4. Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार) के पद पर नियोजन हेतु इच्छुक आवेदकों को निम्नांकित योग्यताएँ धारण करना अनिवार्य होगा :–

क्र० सं०	पदनाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	देय पारिश्रमिक
1	Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार)	आवेदन समर्पित करने की तिथि को न्यूनतम 35 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष	स्नातकोत्तर	डिजिटाइजेशन/हवाई फोटोग्राफी/रिमोट सेंसिंग/सर्वे ऑफ इंडिया/फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया/सी-डेक/सॉयल एण्ड लैण्ड यूज सर्वे ऑफ इंडिया/आई०टी० तथा एन०आर०एस०सी० में कार्य का अनुभव के साथ Web Based जी०आई०एस० सर्विसेज हेतु आर्क जी०आई०एस० सर्वर पर कार्य का अनुभव के अतिरिक्त भू-अभिलेखों के संधारण/सर्वे/री-सर्वे संबंधी कार्यों में 10 वर्षों का अनुभव तथा भूमि सूचना प्रबंधन एवं डाटा फॉरमेट से संबंधित जानकारी का उपलब्ध होना अनिवार्य।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 1,00,000/- (एक लाख) रुपये प्रतिमाह

5. इच्छुक आवेदक संलग्न विहित प्रपत्र में अपने फोटो के साथ पूर्ण आवेदन यथावश्यक अनुलग्नकों के साथ सर्वे भवन, शास्त्रीनगर, पटना— 23 स्थित कार्यालय में निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को दिनांक 25.11.2022 के 05:00 बजे अपराह्न तक उपलब्ध करा सकेंगे।
6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि:-
 (क) उनके विरुद्ध निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
 (ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
 (ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।
 (घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
7. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों का अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वरक्ष्य द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र देना आवश्यक होगा।
9. नियोजन के उपरांत आवेदकों को चेक के माध्यम से उनके बैंक खाता में पारिश्रमिक की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। पारिश्रमिक की राशि में से टी०डी०एस० की कटौती करने के उपरांत शेष राशि बैंक खाता में जमा कर दी जाएगी।
10. नियोजन के उपरांत यदि सलाहकार की सेवा संतोषप्रद नहीं पायी गयी, तो निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप—सह—सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति अपने स्तर से संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सहमति से इन्हें कार्य मुक्त करने के लिए सक्षम होंगे।
11. Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार) मुख्य रूप से जी०आई०एस० डाटा का फॉरमेट निर्धारण/गुणवता की जांच/डाटा ऑनलाईन करने तथा वेबसाईट के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करने/तकनीकी अभिलेखों के निर्माण एवं मूल्यांकन कार्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अधिनियमों/नियमावली के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव/परामर्श उपलब्ध कराएँगे तथा ऐयतवार चालू खतियान के निर्माण एवं वेबसाईट पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में अपना सहयोग/सुझाव उपलब्ध कराएँगे।
12. यह नियोजन पूर्ण रूप से सीमित समय के लिए अस्थायी रूप से किया जाएगा। साक्षात्कार के उपरांत सफल आवेदकों से एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा का विस्तारीकरण नहीं किए जाने पर एक वर्ष की अवधि के बाद नियोजित आवेदक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
13. कार्य की अधिकता एवं आवश्यकता को देखते हुए एकाधिक Expert Consultant (सलाहकार) भी उस वर्ष की उपलब्ध मानदेय राशि के अधीन प्रावधानों के तहत रखे जा सकते हैं। यह नियुक्ति पैनल की वरीयता के आधार पर ही होगी।
14. पैनल की वरीयता का निर्धारण निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार समिति द्वारा तय किया जाएगा।
15. निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप किसी भी समय बिना कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे।


 सहायक निदेशक
 भू—अभिलेख एवं परिमाप,
 बिहार, पटना।

आवेदन का प्रपत्र

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :— **Expert Consultant (विशेषज्ञ सलाहकार)**
 2. आवेदक का नाम :—
 (क) हिन्दी में :—
 (ख) अंग्रेजी में :—
 3. पिता/पति का नाम :—
 4. जन्म तिथि :—
 5. आरक्षण कोटि :—
 6. पुरुष/महिला '—
 7. स्थायी पता :—
 8. पत्राचार का पता :—
 9. किस प्रदेश के मूल निवासी हैं :—
 10. मोबाइल नं० :—
 11. ई—मेल :—
 12. पूर्व में नियोजित कार्यालय का नाम/पता :—
 13. पूर्व में पदस्थापित/नियोजित कार्यालय में किए गए कार्यों का व्यौरा :—
 14. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि:— उनके विरुद्ध कोई निगरानी मामला नहीं चल रहा हो/कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो/किसी भी मामले में दंडित नहीं हुए हों/कोई गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
 15. शैक्षणिक योग्यता :—
- | परीक्षा का नाम | उत्तीर्णता का वर्ष | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड | Expert Consultant कार्य के अनुभव का व्योरा प्रमाण सहित | राजस्व मानविक्री के डिजिटाईजेशन के कार्य का अनुभव प्रमाण सहित | पूर्व में किसी विभाग/कार्यालय/संस्था को उपलब्ध करायी गयी सेवा का व्योरा |
|----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
16. योजना से संबंधित कार्य का कोई अन्य अनुभव यदि हो तो उल्लेख करे :—

नोट :— आवेदक अपनी यथावश्यक साक्ष्य प्रमाण स्वरूप स्व—हस्ताक्षर के साथ संलग्न करेंगे।

घोषणा :—

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं। किसी भी समय उपर्युक्त सूचनाओं में से किसी सूचना को गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन/नियोजन को रद्द किया जा सकेगा।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

हाल का
स्व—अभिप्राप्ताणित
फोटो